मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in **ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com**

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/लहसुन/360/पार्ट/ 923 **भोपाल, दिनांक** 17**/01/2025**

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक- 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियो में अधिसूचित कृषि उपज "लहसुन (गीला तथा सूखा)" के विपणन हेतु "मंडी समितियो के लिए उपविधि वर्ष-2000" की कंडिका - 16 में नवीन उपबंध (7) को स्थापित करने के लिए उपविधि संशोधन आदेश क्रमांक - बी-6/नियमन/उपविधि संशोधन/2015/3656- 3657 दिनांक 13/03/2015 जारी किया गया था।

प्रश्नाधीन उपविधि संशोधन आदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP क्रमांक 19957/2024 में दिनांक 03/01/2025 के आदेश की छायाप्रति संलग्न है। उक्त आदेश अनुसार, प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा रिव्यू पिटीशन क्रमांक 211/2024 एवं रिव्यू पिटीशन क्रमांक 753/2024, में पारित आदेश दिनांक 23/07/2024 प्रभावी है। तदानुसार, प्रश्नाधीन उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 13/03/2015 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

यह आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP क्रमांक 19957/2024 में होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/लहसुन/360/पार्ट/ 924 **भोपाल, दिनांक** 17 **/01/2025**

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय - ______(समस्त)।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - ______(समस्त)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक/ बी–6/नियमन/उप विधि/संसोधन/2015/3656 भोपाल, दिनांक 13/03/2015

—:: **आदेश** ::—

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अधिसूचित कृषि उपज "लहसुन (गीला तथा सुखा)" कि किसान हित में बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 15.04.2015 तक " **मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000** " में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करें :–

(1) उपविधि सन–2000 के अध्याय चार में मंडी समिति द्वारा अधिसूसचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण हेतु निर्धारित कंडिका 16 में संशोधन उपरांत निम्नानुसार नवीन उपबंध (7) को स्थापित किया जाए :–

(16) (7) – यह कि कृषि उपज "लहसुन (गीला तथा सुखा)" शीघ्र नष्ट होने वाली (पेरीशेबल कमोडिटी) है जो कि कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 1(क) की अनुसूची दस के अन्तर्गत "चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं" श्रेणी में आता है, के विपणन हेतु कृषि उपज मंडी समिति की इस उपविधि के उपरोक्त उपबंध में निर्धारित प्रणाली के अतिरिक्त उपयुक्त वैकल्पिक पारदर्शी प्रणाली यथा प्रतिनिधि (कमीश्न एजेंट) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज के विपणन, घोष विक्रय संचालन इत्यादि को उसी प्रकार भी विनियमित किया जा सकेगा जैसे कि " **फल सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन 2000** " के प्रावधानों में उपबंधित है, किन्तु इस वैकल्पिक व्यवस्था में की गई कोई भी बात से कृषि उपज **"लहसुन (गीला तथा सुखा)"** को मंडी अधिनियम की धारा 1(क) की अनुसूची सात यथा "फल" या अनुसूची आठ यथा "सब्जी" के अंतर्गत नहीं समझा जावेगा।

विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपविधि सन 2000 में उपरोक्तानुसार संशोधन करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि सन 2000 के उक्त संशोधन म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनॉक 16.4.2015 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./ क्रमांक/ बी–6/नियमन/उप विधि/संशोधन/2015/3657 भोपाल, दिनांक 13/03/2015

प्रतिलिपिः–

(1) उप संचालक/संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर/उज्जैन/भोपाल/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा को निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति के लियें उपविधि वर्ष–2000 में उक्त संशोधन संभाग की प्रत्येक मंडी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर तथा कृत कार्रवाई के संबंध में संभाग की समस्त मंडियों का संकिलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित करें।

(2) अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त) की ओर पालनार्थ। मण्डी समिति के लिये उपविधि वर्ष–2000 में अपेक्षित उक्त संशोधन मंडी समिति द्वारा नियमानुसार प्रस्तावित पारित कर विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

ITEM NO.55 COURT NO.4 SECTION IV-C

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 19957/2024

[Arising out of impugned final judgment and order dated 23-07-2024 in RP No. 211/2024 passed by the High Court of Madhya Pradesh at Indore]

MUKESH MURLIDHAR SOMANI Petitioner(s)

VERSUS

AALOOPYAJ COMMISSION AGENTS ASSOCIATION & ORS. Respondent(s)

IA No. 239784/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 194198/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 239769/2024 - VACATING STAY)
IA No. 292360/2024 FOR IMPLEADMENT

Date : 03-01-2025 This matter was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE HRISHIKESH ROY
HON'BLE MR. JUSTICE S.V.N. BHATTI

For Petitioner(s) Dr. Harsh Pathak, Adv.
Ms. Shaveta Mahajan, AOR
Mr. Mohit Choubey, Adv.

For Respondent(s) Ms. Ruchi Kohli, Sr. Adv
Mr. A. K. Chauhan, Adv.
Mr. Amit Kumar, Adv.
Mr. Shashank Shekhar, AOR

Mr. Sarvam Ritam Khare, AOR
Mr. Abhinav Dhanodkar, Adv.
Mr. Kushagra Sharma, Adv.
Mr. Anuj Agarwal, Adv.

Mr. Prabhat Kumar Rai, AOR
Mrs. Nidhi Singh, Adv.
Mr. Keshav Khandelwal, Adv.

Mr. Shyel Trehan, Sr. Adv.
Mr. Dhananjay Kumar, Adv.
Mr. Sumit Kumar, Adv.
Ms. Vidhi Jain, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Heard Dr. Harsh Pathak, learned counsel appearing for the petitioner. Also heard Ms. Ruchi Kohli, learned Senior Counsel appearing for the respondent.

2 Notice in this case was issued on 06.09.2024 on the projection that the petitioner is a garlic farmer.

3. However, in the counter affidavit and application for vacating stay, filed by the respondent No.1, it is pointed out that the petitioner is also a Trader of garlic and not just a farmer.

4. When specific query was raised to Dr. Harsh Pathak on what is the petitioner's vocation, the counsel concedes that the petitioner is also a trader besides being a farmer.

5. The above would suggest that incorrect projection was given before this Court on the petitioner being just a garlic farmer. This was wrong.

6. In the above circumstances, we are of the view that the interim order passed by us on 06.09.2024, needs to be vacated. The same is accordingly vacated. The IA (No. 239769/2024) for vacating stay is allowed.

7. Heard Ms. Shyel Trehan, learned Senior Counsel appearing for the impleader. The IA (IA No. 292360/2024) for impleadment is allowed. The respondents are impleaded as respondent(s). The cause title be amended accordingly.

6. The learned counsel for the other parties pray for and are granted four weeks' time to file their respective response.

(DEEPAK JOSHI)	**(KAMLESH RAWAT)**
ASTT. REGISTRAR-cum-PS	**ASSISTANT REGISTRAR**